न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

अनुश्री बनाम प्रमेय कुमार

मुकदमा संख्या/वर्ष वाद-88/21 :

/20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पत्रावली आज दिनांक 12/7/22 को पेश हुई। वकील प्रार्थी- अप्रार्थी/वादी- प्रतिवादी उपस्थित हुए। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब/कार्यवाही/आज्ञानुसार कार्यवाही हेतु दिनांक 01/08/22 को पेश हो। सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय
	1/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] प्रार्थिया/वादिया की ओर से पत्रावली [illegible] [illegible] बैठवाद व स्थायी निषेधाज्ञा वाद वापस लिये जाने हेतु [illegible] [illegible] है। प्रार्थिया/वादिया स्वयं अपने हस्ताक्षर आदेशिका पर अंकित किये गये। [illegible] वकील वादी स्वयं भी [illegible] जब स्वयं वादिया अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहते तो वाद को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थिया/वादिया ने [illegible] वापसी लिये जाने वाद को स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। [illegible] [illegible] 1/8/22 को लिखाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:23:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner